



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2013/अग्रहायण 14, 1935

No. 285]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2013/AGRAHAYANA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूँजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013

विषय :— वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संघटन में संशोधन के बारे में

एफ. सं. 18/14/2013-एफएसडीसी.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना एफ. सं. 14/33/2010-ईएम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2ख में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी)”

डॉ. सी. एस. महापात्रा, सलाहकार (एफएस)

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 30-12-2010 की एफ सं. 14/33/2010-ईएम द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके बाद 6 अगस्त, 2013 की एफ. सं. 18/14/2013-एफएसडीसी द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2013

Subject: Amendment in the composition of Financial Stability and Development Council (FSDC)-regarding

F. No. 18/14/2013-FSDC.—The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, F. No. 14/33/2010-EM dated 30th December, 2010, namely :—

In the said notification, the following shall be inserted in para 2b, namely :—

“(viii) Chairman, Forward Markets Commission (FMC)”

Dr. C. S. MOHAPATRA, Adviser (FS)

Foot Note : The Principal Notification was published *vide* F. No. 14/33/2010-EM, dated 30-12-2010 and subsequently amended *vide* (F. No. 18/14/2013-FSDC, dated the 6th August, 2013.